

**न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर, जिला
बालाघाट (म0प्र0)
समक्ष:-दिलीप सिंह**

आर.सी.एस.-4 बी / 2015
संस्थित दिनांक-16.09.2015

झनकलाल बिसेन, आयु 48 वर्ष, पिता स्व. श्री झाडुलाल, जाति पंवार,
निवासी-ग्राम चरचेण्डी, थाना व तह. बिरसा, जिला बालाघाटवादी

- / / विरुद्ध / / -

1-धर्मनन्द बिसेन आयु 24 वर्ष पिता श्री ओखदराम बिसेन, जाति पंवार
निवासी-ग्राम चरचेण्डी, थाना व तह. बिरसा, जिला बालाघाट
2-अमरलाल धुर्वे, आयु 36 वर्ष, पिता गुहदरसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम अंजना, थाना रेंगाखार, तह. बोड़ला, जिला कवर्धा ..प्रतिवादीगण

- / / निर्णय / / -

(आज दिनांक-21.02.2018 को घोषित)

1- वादी ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध 88,000/- (अठ्यासी हजार रुपये) की वसूली हेतु प्रस्तुत किया है।

2- वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रति.क.1 आपस में चाचा-भतीजा हैं। प्रति.क.2, वादी की पहचान का होकर प्रति.क.1 का मित्र हैं। वादी द्वारा दिनांक-02.12.2013 को तुकाराम परते से एक बुलेरो वाहन क. सी. जी-07/4371 का 1,20,000/-रुपये में कय करने का सौदा प्रति.क.1 एवं 2 के समक्ष कर 75,000/-रुपये तुकाराम को दिये थे। शेष राशि 45,000/-रुपये उक्त कयशुदा वाहन के दस्तावेज वादी के नाम पर ट्रांसफर होने के बाद देने का सौदा किया था। दिनांक-31.01.2014 को प्रतिवादीगण, वादी के घर ग्राम चरचेण्डी आए थे और कहा था कि वह गाड़ी के कागजात लेने तुकाराम परते के घर जाने वाले हैं, इसलिए गाड़ी खरीदी की बाकी रकम उन्हें दे दो, तब वादी ने कहा था कि गाड़ी के कागजात मिलने पर ही पैसा देगा एवं प्रति.क.2 के हाथ में 40,000/-रुपये तुकाराम परते को देने के लिए दिये थे। वादी ने कहा था कि गाड़ी के कागजात नहीं देगा तो रुपये वापस लाकर दे देना। इसके बाद दोनों प्रतिवादीगण चले गए थे। कुछ दिन बाद वादी को वाहन विक्रेता मिला था, तब वादी ने उससे पूछा था कि वाहन की बकाया राशि 40,000/-रुपये प्रतिवादीगण के द्वारा भिजवाए थे, वह प्राप्त हो गए, तब तुकाराम परते ने कहा था कि उसे बकाया राशि किसी ने नहीं दी, तब वादी ने अमरलाल धुर्वे से पूछताछ की थी,

तब प्रति.क्र.2 द्वारा बताया गया था कि विक्रेता द्वारा कागजात नहीं देने के कारण उसने 40,000/-रुपये वादी के भतीजे प्रति.क्र.1 को वादी को वापस करने के लिए दिये थे, जिन्हें प्रति.क्र.1 ने अपने पास रख लिये थे। वादी द्वारा प्रति.क्र.1 से वाहन की बकाया राशि के बारे में पूछताछ की थी, तो प्रति.क्र.1 ने बताया था कि उसने 40,000/-रुपये अपने पास रख लिये हैं। प्रति.क्र.1 ने दिनांक-22.08.2014 को गवाह तुकाराम परते, जगदीश, चन्द्रपाल बिसेन, परदेशी धुर्वे, मिश्रीलाल टेम्भरे, गुहदरसिंह धुर्वे के समक्ष 8 दिवस के भीतर राशि वापस करने का कहकर गवाहों के समक्ष रसीद पंचनामा तहरीर किया था, किन्तु समय अवधि के अंदर प्रति.क्र.1 ने वादी को राशि अदा नहीं की थी। प्रति.क्र.1 द्वारा वादी की अमानत राशि 40,000/-रुपये, वाहन मालिक को देने के लिए दी थी। उक्त राशि को अपने पास रख ली थी, जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त कर प्रति.क्र.1 को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किया था, जिसका कोई जवाब समय सीमा में प्राप्त नहीं होने पर वादी ने उक्त व्यवहार वाद प्रस्तुत किया है। वादी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

3— प्रकरण में प्रति.क्र.1 एवं 2 ने वादी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादी के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए विशेष कथन में बताया है कि वादी द्वारा तुकाराम परते से एक बुलेरो वाहन क्रय करने का सौदा किया था, जो वादपत्र की कंडिका-2 में बताया गया है। उक्त सौदे की जानकारी प्रति.क्र.1 एवं 2 को नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध मिथ्या एवं भ्रामक वाद पेश करने के कारण वादी से 10,000/-रुपये प्रतिकरात्मक राशि प्रतिवादीगण को दिलाई जावे। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बकाया मूलधन की राशि एवं उक्त राशि पर 10 प्रतिशत ब्याज की दर से वसूली का कथन किया है, परंतु मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम 1934 के तहत एवं म.प्र. अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 के अंतर्गत वादी किसी भी प्रकार से अनुज्ञप्ति धारी एवं पंजीकृत व्यवसायी नहीं है। वादी, प्रतिवादीगण से अविधिक रूप से मूलधन एवं उक्त धन पर ब्याज प्राप्त नहीं कर सकता। वादी द्वारा वादपत्र में किये गए कथन कानूनी प्रावधानों के विपरीत हैं। वादी का वादपत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से सव्यय निरस्त किया जावे।

4— प्रकरण में तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए हैं।

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा वादी को देय 40,000/-रुपये की राशि प्रतिवादी क्रमांक-2 से प्राप्त की गई थी ?	“प्रमाणित”
2	क्या प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उपरोक्त राशि का भुगतान वादी को किये जाने हेतु दायित्वाधिन है ?	“प्रमाणित”
3	क्या वादी मूल राशि के भुगतान होने तक 10% प्रतिमाह की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है ?	“वादी 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है”
4	सहायता एवं खर्च ?	वादी का वादपत्र निर्णय की कंडिका-10 के अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

वादप्रश्न क्रमांक-01 व 02, 03 का निराकरण:-

5— वादप्रश्न क्र. 1 लगा. 3 एक दूसरे से संबंधित है। प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण तीनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6— वादी इनकलाल बिसेन वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में अभिवचनों के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि उसके द्वारा दिनांक-02.12.2013 को प्रति.क्र. 1 एवं 2 के समक्ष तुकाराम से एक बुलेरो वाहन 1,20,000/-रुपये में क्रय करने का सौदा कर सौदे के समय प्रतिवादीगण के सामने तुकाराम को 75,000/-रुपये दिये थे एवं शेष 45,000/-रुपये क्रयशुदा वाहन के कागजात का वादी के नाम पर नामांतरण होने के बाद दिया जाना तय हुआ था। दिनांक-31.01.14 को प्रतिवादीगण, वादी के घर ग्राम चरचेण्डी आए थे एवं बोले थे कि वह वाहन के कागजात लेने के लिए तुकाराम के घर जाने वाले हैं। वाहन क्रय करने की शेष राशि उन्हें दे दो, वह तुकाराम को दे देंगे, तब साक्षी द्वारा कहा गया था कि वाहन के कागजात मिलने पर वह पैसा देगा, ऐसा कहकर साक्षी ने प्रति.क्र.1 के सामने प्रति.क्र.2 के हाथ में 40,000/-रुपये तुकाराम को देने के लिए दिये थे। कुछ समय बाद साक्षी को तुकाराम मिला था। साक्षी ने तुकाराम से पूछा था कि उसने अमरलाल व धर्मेन्द्र के द्वारा वाहन की बकाया राशि 40,000/-रुपये भेजे थे, तब तुकाराम ने कहा था कि उसे पैसा किसी ने नहीं दिया है। साक्षी द्वारा तुकाराम को पैसे नहीं देने के संबंध में

प्रतिवादीगण से पूछा था, तब प्रति.क्र.2 ने बताया था कि वाहन के कागजात दस्तावेज तैयार नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण ने 40,000/-रुपये नहीं दिये। प्रति.क्र.1 को 40,000/-रुपये साक्षी को वापस देने के लिए दे दिये थे। इसके बाद साक्षी ने प्रति.क्र.1 से पूछा था तब प्रति.क्र.1 ने साक्षी से कहा था कि उसने 40,000/-रुपये अपने पास रख लिये हैं। इस संबंध में दिनांक-22.08.14 को ग्राम अंजना में एक सामान्य दस्तावेज पर 1/-रुपये की टिकट लगाकर 40,000/-रुपये की राशि वापस करने की रसीद पंचनामा की लिखापढ़ी की थी एवं राशि वापस करने के लिए प्रति.क्र.1 ने आठ दिन का समय मांगा था। आठ दिवस में राशि वापस नहीं करने पर 10% ब्याज देने की बात रसीद पंचनामा में लिखी गई थी। रसीद पंचनामा की लिखापढ़ी किये जाते समय गवाह तुकाराम परते, जगदीश, चन्द्रपाल बिसेन, परदेशी धुर्वे, मिश्रीलाल टेम्भरे, गुहदरसिंह उपस्थित थे, जिन्होंने रसीद पंचनामा पर गवाहों के रूप में हस्ताक्षर किये थे। लिख देने वाले के रूप में धर्मेन्द्र के हस्ताक्षर कराए थे, लिखा लेने वाले के रूप में साक्षी ने स्वयं के हस्ताक्षर किये थे। रसीद पंचनामा में लिखित अवधि के अंदर प्रति.क्र.1 के द्वारा राशि अदा नहीं किये जाने पर दिनांक-15.10.14 को साक्षी प्रति.क्र.1 के पास दोबारा राशि मांगने के लिए गया था, तब भी प्रति.क्र.1 ने वादी की राशि नहीं दी थी। साक्षी को उसकी राशि प्राप्त नहीं होने पर उसके अधिवक्ता के द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करवाया था। साक्षी प्रतिवादीगण से संयुक्त रूप से 40,000/-रुपये मूलधन एवं रसीद के लिखे अनुसार 10% ब्याज की दर से 88,000/-रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने दस्तावेजी साक्षी के रूप में प्रदर्श पी-1 लगा. 6 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

7- चंद्रपाल बिसेन वा.सा.2, मिश्रीलाल टेम्भरे वा.सा.3 ने वादी के अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि दिनांक-22.08.14 को वादी के 40,000/-रुपये प्रति.क्र.1 द्वारा वादी को देने की लिखापढ़ी हुई थी। चंद्रपाल बिसेन वा.सा.2 ने प्रदर्श पी-1 का रसीद पंचनामा उसकी हस्तलिपि में लिखा था, जिसके मुख्यपृष्ठ भाग पर लिखा लेने वाले झनकलाल बिसेन व लिख देने वाले धर्मेन्द्र बिसेन के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर लिये गए थे। पृष्ठ भाग पर चार पंचों के हस्ताक्षर गवाहों के समक्ष कराए गए थे। प्रति.क्र.1 द्वारा वादी को 40,000/-रुपये वापस नहीं किये जाने के समय तक उसकी मोटरसाईकिल, एक जोड़ी बैल एवं ट्रैक्टर को वादी के सुपुर्द रखने की बात लेखबद्ध की गई थी। उसके बाद भी प्रति.क्र.1 द्वारा राशि की अदायगी नहीं की है। मिश्रीलाल टेम्भरे वा. सा.3 ने उसकी साक्ष्य में चन्द्रपाल बिसेन वा.सा.2 की साक्ष्य के समान कथन करते हुए यह बताया है कि रसीद पंचनामा में उसके गवाह के रूप में हस्ताक्षर हैं।

चन्द्रपाल बिसेन वा.सा.2 मिश्रीलाल टेम्भरे वा.सा.3 ने उनकी साक्ष्य में वादी की साक्ष्य की पुष्टि की है। वादी की साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य नहीं दी है।

8— प्रकरण में वादी एवं प्रति.क्र.1 एवं 2 ने उनकी ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत की है। उभयपक्षों की संपूर्ण लिखित तर्क पर विचार किया गया। प्रति.क्र.1 एवं 2 ने उनकी लिखित तर्क में बताया है कि वादी ने प्रतिवादीगण से 40,000/-रुपये मांगे हैं। उक्त राशि प्रतिवादीगण को दिये जाते समय कोई गवाह मौजूद नहीं था। किसी साक्षी ने भी उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि वादी ने उनके समक्ष प्रतिवादीगण को 40,000/-रुपये दिये थे। इस संबंध में वादी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-16 में यह स्वीकार किया है कि प्रति.क्र.1 को 40,000/-रुपये देने की बात वादपत्र एवं शपथपत्र में बताई है। उस समय कोई गवाह मौजूद नहीं था। वादी के अभिवचनों एवं साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि जब वादी ने प्रति.क्र.1 के समक्ष प्रति.क्र.2 को 40,000/-रुपये दिये थे, तब वादी एवं प्रतिवादीगण के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी उपस्थित नहीं था। वादी ने प्रतिवादीगण को दी गई राशि के संबंध में दिनांक-22.08.2014 को प्रदर्श पी-1 के रसीद पंचनामा की लिखापढ़ी कराई थी। चन्द्रपाल बिसेन वा.सा.2 ने उसके मुख्यपरीक्षण की कंडिका-3 में यह बताया है कि प्रदर्श पी-1 का दस्तावेज उसकी हस्तलिपि में लिखा गया है, जिस पर उसके साक्षी के रूप में बी से बी भाग पर हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह बताया है कि प्रदर्श पी-1 के दस्तावेजों में धर्मेन्द्र बिसेन लिखने के पश्चात् प्रति.क्र.1 ने प्रदर्श पी-1 का दस्तावेज लिखाने के बाद ग्राम अंजना में हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकर किया है कि प्रदर्श पी-1 के दस्तावेजों पर धर्मेन्द्र बिसेन के हस्ताक्षर नहीं है। मिश्रीलाल टेम्भरे वा.सा.3 प्रदर्श पी-1 के दस्तावेजों का साक्षी है। उक्त साक्षी ने उसके मुख्यपरीक्षण की कंडिका-3 में इस बात की पुष्टि की है कि प्रदर्श पी-1 का दस्तावेज चन्द्रपाल बिसेन वा.सा.2 ने लिखा था, जिसके पृष्ठ भाग पर इस साक्षी के सी से सी भाग पर हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 के दस्तावेजों की लिखापढ़ी करने के बाद गवाहों के रूप में साक्षी ने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में बताया है कि प्रदर्श पी-1 के रसीद पंचनामा के नीचे भाग पर लिख देने वाले चन्द्रपाल बिसेन द्वारा धर्मेन्द्र बिसेन का नाम लिख देने वाले का नाम लिखा था। उसके नीचे धर्मेन्द्र बिसेन ने हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी-1 के दस्तावेज के ए से ए भाग पर झनकलाल बिसेन के हस्ताक्षर हैं।

9— प्रकरण में वादी के अभिवचन एवं उसकी साक्ष्य को देखा जाए तो वादी ने प्रति.क्र.2 को प्रति.क्र.1 के समक्ष 40,000/-रूपये तुकाराम को देने के लिए दिये थे। प्रति.क्र.2 ने उक्त राशि तुकाराम को नहीं दी थी। इसके बाद प्रति.क्र.2 ने उक्त राशि वादी को वापस करने के लिए प्रति.क्र.1 को दे दी थी, परंतु प्रति.क्र.1 ने उक्त राशि वादी को नहीं दी थी। उक्त राशि अपने पास रख ली थी, तब वादी ने दिनांक-22.08.14 को प्रदर्श पी-1 के रसीद पंचनामा की लिखापढ़ी की थी। उक्त रसीद पंचनामे पर प्रति.क्र.1 के हस्ताक्षर हैं। रसीद पंचनामा को लिखने वाले चन्द्रपाल बिसेन वा.सा.2 ने उसकी साक्ष्य से रसीद पंचनामा को लिखने की पुष्टि की है एवं साक्षी ने रसीद पंचनामा पर उसके सामने धर्मेन्द्र बिसेन एवं वादी द्वारा हस्ताक्षर करने के बारे में बताया है एवं उक्त दस्तावेज के साक्षी मिश्रीलाल टेम्भरे ने उक्त दस्तावेज उसके सामने चन्द्रपाल बिसेन द्वारा लिखना बताते हुए उक्त दस्तावेज स्वयं के सामने लिखना बताया है। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर वादी एवं उसके साक्षीगण की साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी एवं उसके साक्षीगण की साक्ष्य से एवं प्रदर्श पी-1 के रसीद पंचनामा से यह प्रमाणित होता है कि प्रति.क्र.2 ने वादी से 40,000/-रूपये की राशि प्राप्त की थी। उक्त राशि प्रति.क्र.2 ने प्रति.क्र.1 को वादी को वापस करने के लिए दी थी, लेकिन प्रति.क्र.1 ने उक्त राशि अपने पास रख ली थी, जो वादी द्वारा मांगने पर भी उसे वापस नहीं की गई है। इस कारण प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उपरोक्त राशि का वादी को भुगतान किये जाने के लिए उत्तरदायी है। वादी ने मूलधन पर 10% प्रतिमाह की दर से ब्याज भी मांगा है, परंतु वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि वर्तमान में ब्याज की प्रचलित दर क्या है। ऐसी स्थिति में वादी, प्रतिवादीगण से साधारण दर से ही ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादप्रश्न क्रमांक-4 सहायता एवं खर्च

10— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादी अपना वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकर किया जाकर परिणामस्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:—

1— प्रतिवादीगण, वादी को मूलधन 40,000/-रूपये की राशि एकमुश्त निर्णय दिनांक से 02 माह की अवधि में अदा करें।

2— प्रतिवादीगण, वादी को मूलधन 40,000/-रूपये की राशि पर दिनांक-31.01.14 से 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज अदा करें।

3— प्रतिवादीगण, वादी का वाद व्यय वहन करेंगे।

4— अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तद्ानुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही /—
(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य०न्याया० वर्ग-1,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट

सही /—
(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य०न्याया० वर्ग-1,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)